Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 5 | ISSN : 2581- 6306

उत्तर प्रदेश में गरीबों हेतु योजनाँ : एक विश्लेषण

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय
भूतपूर्व शोध छात्र,
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश,भारत।

Article Info
Volume 3, Issue 5
Page Number: 164-188

Publication Issue :
September-October-2020

Article History
Accepted : 10 Sep 2020
Published : 20 Sep 2020

सारांश– विधवा पेंशन योजना 15 अगस्त, 1995 को एक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत अनाथ (विधवा) महिलाओं को 100 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है। पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को छमाही आधार पर या वर्ष में दो बार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए विधवा महिलाओं को अपने क्षेत्र के लेखपाल द्वारा फार्म भरकर उप–जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रेषित करना होता है।66 विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवाओं को सामाजिक सहायता के रूप में 100 रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान करना है।

मुख्यशब्द– उत्तर प्रदेश, गरीबी, हेतु, योजना, विधवा, महिला, सामाजिक, दयनीय।

1940 के दशक में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन, कृषि की दयनीय स्थिति और इनको दूर करने में प्रशासनिक अकर्मणता के परिणाम स्वरूप प्रदेश में गरीबी की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ स्तर पर लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गयी तथा 26 नवम्बर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया। संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की अभिकल्पना की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार का दायित्व होता है कि वह आम जनता की समस्याओं को दूर करते हुए उनके लिये बेहतर जीवन स्तर के अवसर प्रदान करें। संविधान के भाग 3 के तहत वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0 38 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राज्य लोककल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 व 51 ए में बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

का प्रबन्ध किया गया है। इसके साथ ही अनु0 47 के तहत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊॅचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु समुचित कदम उठायें।

संविधान द्वारा निर्देशित उपरोक्त कार्यों के परिपालन हेतु संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है जिसमें गरीबी उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी सम्मिलित है। यद्यपि विभिन्न स्तरों पर विकास सूचकांकों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है किन्तु कतिपय कारणों से सभी योजनाएं अपने निर्धारित बंचित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। प्रस्तुत अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर विशेष रूप से केन्द्रित है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रमों के निमार्ण एवं क्रियान्वयन के पक्षों पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सामान्यतः किसी भी स्तर पर गरीबी का प्रमुख कारण योग्यता के अनुसार रोज़गार प्राप्त न होना उपलब्ध रोज़गार हेतु वांछित योग्यता का न होना या फिर रोज़गार एवं योग्यता के बावजूद उपलब्ध मानव संसाधन के स्वास्थ्य का ठीक न होने, जैसे कारणों से मानव अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने में असफल हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप यह है कि वह गरीबी के दुष्चक्र में फॅस जाता है। इन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेषीकृत योजनाएं चलायी जाती रही हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन योजनाओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है–

आवासीय योजनाएं

प्राकृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा तथा बेहतर जीवन की प्रत्याशा मानव भावना के मूल स्वभाव में रची–बसी है तथा यही भावना उसे आदि काल में प्राकृतिक अवस्था से निकाल कर सामाजिक जीवन में लाई। प्राकृतिक एवं सामाजिक सुरक्षा से प्रेरित होकर मानव घर बनाने एवं बस्तियॉ बसाने की इच्छा जागृत हुई।यदि मानव अपने को सुरक्षित महसूस न करें तो उसे भूख न लगेगी, उसे अपने शरीर पर कपड़ों की चिन्ता न होगी और उसका जीवन संकटमय हो जायेगा, क्योंकि यह सब तो सुरक्षित जीवन के बाद की आवश्यकताएं हैं। सुरक्षित जीवन के लिए उसे सर्वप्रथम आवास चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो "रोटी, कपड़ा और मकान" के नारे में मकान गौण या तीसरे दर्जे की आवश्यकता नहीं, अपितु रोटी और कपड़े के बराबर और किसी हद तक उससे बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अपने लिए एक मकान का सपना संजोए रखता है। भले ही यह मकान "एक महल", "एक बंगला", "एक कोठी" न होकर चार कच्ची दीवारों पर एक घास–फूस की छत ही क्यों न हो। उसकी लालसा सदैव अपने लिए एक 'घर' की ही होती है। इस शब्द 'घर' के लिए हमारी लगन, हमारा लगाव, हमारी भावनाएं कितनी प्रबल हैं, यह बताने की बात नहीं है। कितना संतोष, कितना सुकून मिलता है, व्यक्ति को अपने घर पहुॅच कर और घर छोड़ते समय वह कितना विचलित होता है, यह अनुभव की बात है। घर, अपने अन्दर मानव के लिए असीम सन्तुष्टि लिए हुए है।[1] सुरक्षा, सन्तुष्टि एवं आरम्भ की बात छोड़ आगे देखें तो आवास मानव को प्रतिष्ठा प्रदान करता है। आवास से इंसान की पहचान बनती है, सामाजिक वातावरण से जुड़ाव आता है। व्यक्ति को आत्म–सम्मान की अनुभूति होती है। परन्तु इतना सब कुछ होते हुए आज की विकासोन्मुख समाज में सबके पास

आवास नहीं हो पाता, विशेषकर कमजोर तबकों एवं अल्प आय वर्ग के लोगों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, टूटते–बिखरते परिवार तथा रोज बढ़ती मॅहगाई के चलते समस्या दिनों–दिन विकराल होती जा रही है। लोग झोपड़ी एवं फुटपाथ का सहारा लेने पर विवश हो रहे हैं। न जाने कितनों का बचपन इन झुग्गी–झोपड़ियों की गन्दी गलियों में खोता जा रहा है।[2]

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास विहीन, आपदा प्रभावित एवं झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के लिए निःशुल्क सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान कर आवासीय समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए समय–समय पर विभिन्न आवासीय योजनाओं को लागू किया है, जो काफी हद तक सफल भी रही है। कुछ प्रमुख आवासीय योजनाएं निम्न है।

सारणी 4.1: विभान्न आवासीय योजनाओं द्वारा लाभांन्वित ग्रामीण परिवार

जनपद	ग्रामीण बीपीएल परिवार*	बीपीएल परिवार में लाभांन्वित परिवारों की संख्या व प्रतिशत**							
		इन्दिरा आवास		महामाया आवास		मछुआ आवास		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इलाहाबाद	279542	15499	5.54	6896	2.47	168	0.06	22563	8.07
चित्रकूट	78047	3082	3.95	6285	8.05	100	0.13	9467	12.13
मथुरा	118199	9685	8.19	432	0.37	115	0.10	10232	8.66
बाराबंकी	314363	32864	10.45	4369	1.39	115	0.04	50640	16.11

स्रोतः– * बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित

** कार्यालय, जिला विकास अधिकारी व जिला विकास अभिकरण।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के बाद चयनित जनपदों में विभिन्न आवासीय योजनाएं काफी कम मात्रा में दी गई। ग्रामीण कुल बी0पी0एल0 परिवारों की तुलना में इलाहाबाद, चित्रकूट, मथुरा एवं बाराबंकी में क्रमशः 8.07 प्रतिशत 12.13 प्रतिशत, 8.66 प्रतिशत तथा 16.11 प्रतिशत परिवारों को इन्दिरा आवास, महामाया आवास तथा मछुआ आवास योजना को लाभ दिया गया है। चयनित सभी जनपदों में चित्रकूट जनपद को छोड़कर अन्य तीन जनपदों में सर्वाधिक बी0पी0एल0 परिवार इन्दिरा आवास योजना द्वारा लाभान्वित किए गए है जबकि महामाया आवास योजना में लाभार्थियों की संख्या दूसरे स्थान पर है।

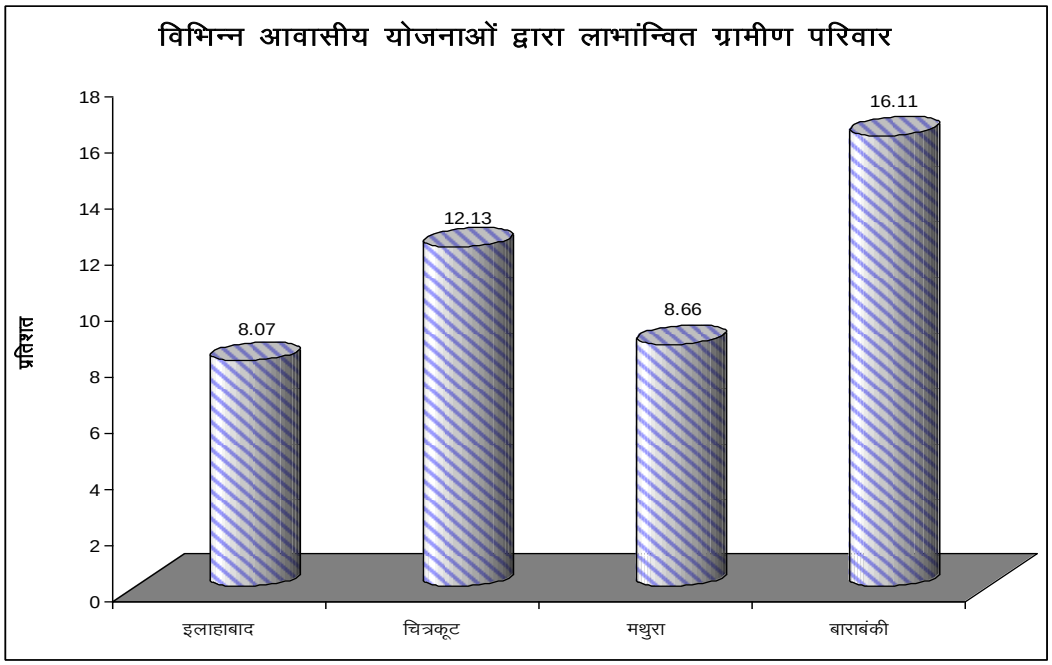
विभिन्न आवासीय योजनाओं द्वारा लाभांन्वित ग्रामीण परिवार
प्रतिशत
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8.07
12.13
8.66
16.11
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

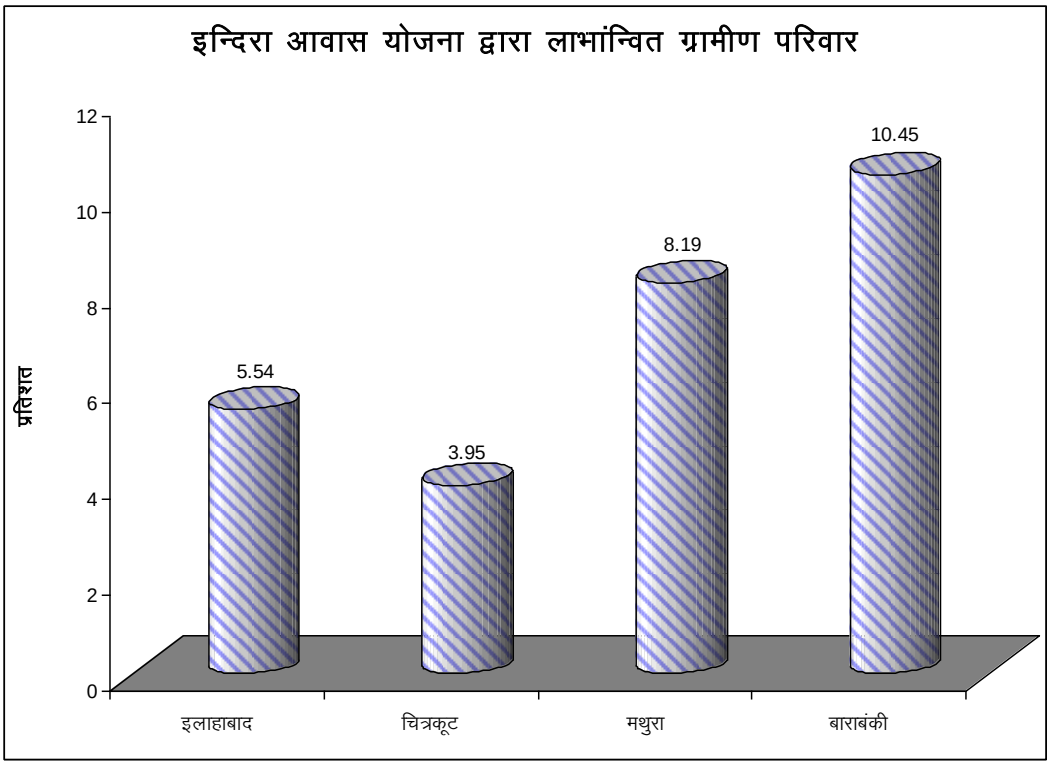
इन्दिरा आवास योजना द्वारा लाभांन्वित ग्रामीण परिवार
प्रतिशत
12
10
8
6
4
2
0
5.54
3.95
8.19
10.45
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

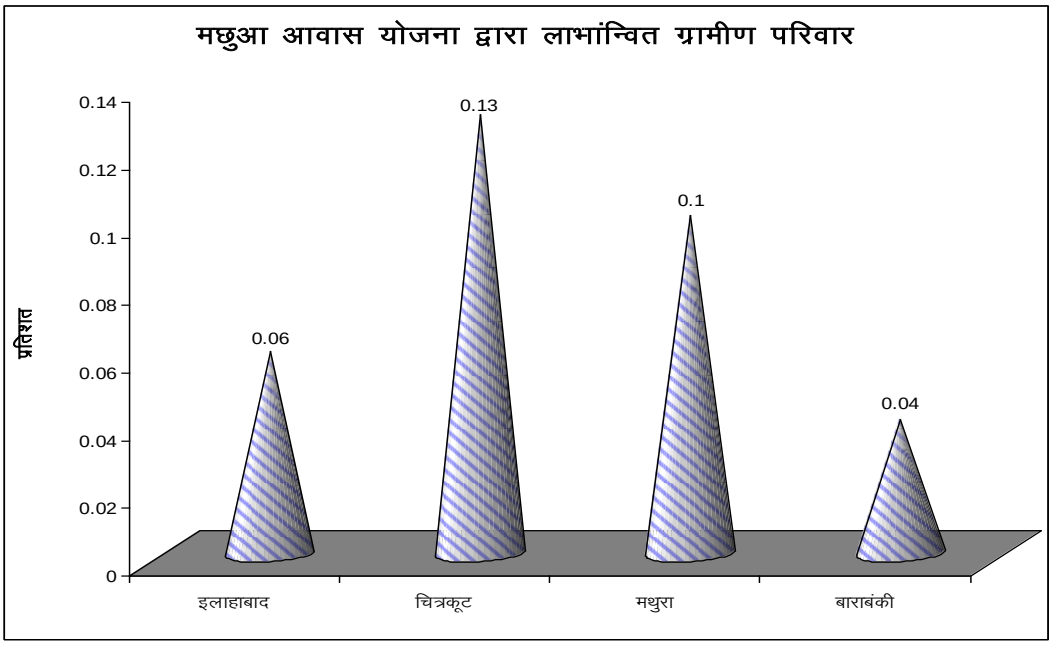

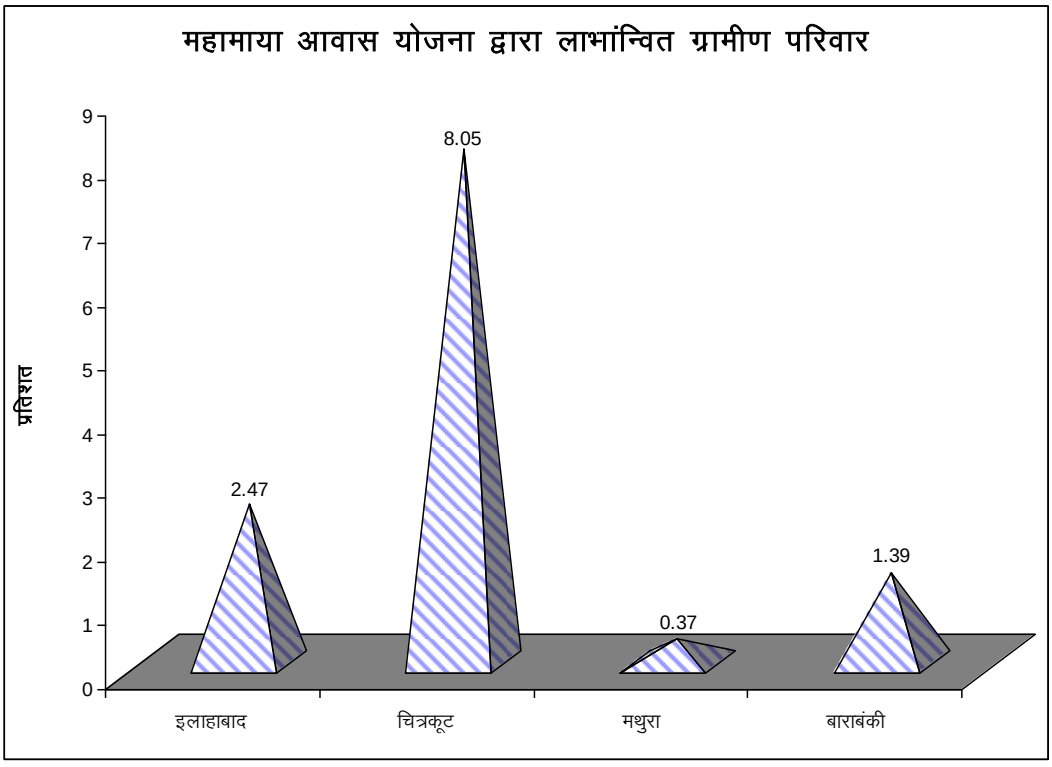

इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना की शुरूआत वर्ष 1980 में ग्रामीण रोज़गार योजना के रूप में हुई, प्रारम्भ में इस योजना का मुख्य कार्य भवन निर्माण था। यह योजना अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना

(NREP) और वर्ष 1983 में प्रारम्भ ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना के तहत शुरू की गयी थी। 1 जून 1985 के सरकारी घोषणा के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों और मुक्त बन्धुवा मजदूर परिवारों के हित के लिए आरम्भ किया गया और इसके निमित्त ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना की निधियों का एक भाग आरक्षित किया गया। तब से इस योजना के तहत भवन निर्माण कराया जा रहा है। यह योजना वर्ष 1985–86 से ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना की उप योजना के रूप में चलायी जाती रही। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (NREP) एवं ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी योजना (RLEGP) को मिला दिया गया और इनके स्थान पर जवाहर रोज़गार योजना के प्रारम्भ होने पर इसके अंग के रूप में इन्दिरा आवास योजना को क्रियान्वित किया गया। जवाहर रोज़गार योजना के कुल संसाधनों का 6 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए आवंटित किया गया।[3] वर्ष 1993–94 में इन्दिरा आवास योजना के क्षेत्र में विस्तार किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गैर–अनुसूचित जाति के गरीब एवं आवास विहीन परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। परन्तु प्रतिबन्ध यह रखा गया कि सकल लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का प्रतिशत 60 से कम नहीं होना चाहिए। योजना के आकार के इस भौतिक विस्तार के साथ ही जवाहर रोज़गार योजना के कुल संसाधनों का 10 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए आरक्षित कर दिया गया। 1 अप्रैल 1996 से एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत भारत सरकार ने इन्दिरा आवास योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में मान्यता प्रदान की और तब से यह योजना एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 1999 में इन्दिरा आवास योजना के प्रावधानों में पुनः बदलाव करके और इस योजना को दो धाराओं में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। एक धारा में पूर्व की भॉति गरीब आवास विहीनों के लिए नये आवास निर्माण का क्रम जारी रखा गया वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के मकानों के उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के लिए 10000 रूपयों के अनुदान की व्यवस्था की गयी। योजना के 80 प्रतिशत संसाधन नये आवासों के निर्माण हेतु तथा शेष 20 प्रतिशत संसाधन स्तर उच्चीकरण के लिए मात्राकृत किये गये। प्रारम्भ में इस योजना के लिए योजना राशि का 6 प्रतिशत निधि खर्च के लिए दिया जाता था, जो वर्ष 1993–94 में बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा वर्ष 1995–96 में 15 प्रतिशत कर दिया गया। तब से अब तक यह योजना इसी रूप में क्रियान्वित की जाती रही है।[4]

योजना का उद्देश्य

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बन्धुवा मजदूर परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों को, जो आवास विहीन हैं, मुफ्त में आवास मुहैया कराना है, परन्तु गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लाभार्थी का चयन

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों का यह दायित्व होता है कि वे वार्षिक आवंटन के सापेक्ष आवास निर्माण का ग्राम सभावार लक्ष्य निर्धारित करें और आवासों की संख्या ग्राम पंचायतों को सूचित करें। ग्राम पंचायतें इन लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित शर्तें और पात्रता के मापदण्डों के अनुरूप लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित सूची क्षेत्र पंचायत को भेजी जाती है। सूची को क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

पात्रता की क्षेणी

इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र माने जाते हैं–

⇒ मुक्त कराये गये बन्धुवा मजदूर।

⇒ अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार,

- जो अत्याचार से पीड़ित हों।
- जिनकी मुखिया विधवा या अविवाहित महिलायें हों।
- जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हों।
- अन्य परिवार।

⇒ युद्ध के दौरान शहीद रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवा/परिवार।

⇒ गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार।

⇒ शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

⇒ सुरक्षा सेवा/अर्द्ध सैनिक बलों के सेवा निवृत्त कर्मचारी।

⇒ विकास योजनाओं के कारण विस्थापित परिवार, यदि वे गरीबी रेखा के नीचे हैं।

4.1.2 समग्र आवास योजना

जिस प्रकार आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से पीने का पानी, शौचालय, जल निकासी की उचित व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, जो न केवल आवास की कमी को पूरा करता है, बल्कि समाज के लिए एक स्वच्छ एवं उन्नतशील वातावरण भी प्रदान करता है। इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वर्ष 1980 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की जिसके अन्तर्गत शौचालय, पीने के पानी, गन्दे जल की निकासी की समुचित व्यवस्था की गयी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण आवास, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, सड़क, जल निकासी आदि की समुचित व्यवस्था के लिए अलग से एक कार्यक्रम निर्धारित कर कार्य को पूरा करने की व्यवस्था की थी। लेकिन इस कार्यक्रम के अपने उद्देश्यों में सफल न होने के कारण वित्त मंत्री ने वर्ष 1999 में अपने बजट भाषण में आवास, शौचालय, पीने का पानी, गन्दे जल की निकासी, सड़क आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर बल

दिया और उसके लिये एक नयी योजना का गठन किया, जिसे समग्र आवास योजना का नाम दिया गया। यह योजना अप्रैल 1999 से प्रारम्भ की गयी। समग्र आवास योजना का उद्देश्य सभी योजनाओं को समान रूप से महत्व देना तथा वर्तमान ग्रामीण आवास, शौचालय, पीने का पानी तथा जल निकासी आदि तकनीक में बदलाव, मानव संसाधनों का विकास कर उन्हें उन्नत जीवन शैली से जोड़ना है। प्रारम्भ में यह योजना देश के 24 राज्यों के 25 जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को विशेष कर जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।[7]

योजना का उद्देश्य

⇒ गॉवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर तथा गॉव के सम्पूर्ण पर्यावरण का सुधार करना है।

⇒ समग्र आवास योजना के अन्तर्गत अब तक पृथक रूप से क्रियान्वित आवास, स्वच्छता एवं पेयजल कार्यक्रमों को समन्वित एवं एकीकृत किया जाना है, जिससे इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं लाभकारी बनाया जा सके।

⇒ तकनीकी, सूचना शिक्षा एवं संचार सुविधाओं को अपनाना, इन्हें ग्रामीण लोगों तक पहुॅचाना और ग्रामीणों को इनका लाभ पहुॅचाना भी है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसे पूरा करने के लिए वह जीवन पर्यन्त प्रयासरत् रहता है, लेकिन गरीबी व अन्य अपरिहार्य कारणों से वह अपनी इस आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता। इस कमी (आवास) को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की एक उप–योजना के रूप में 15 सितम्बर 2000 को प्रारम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने सभी लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, शौचालय, वर्षा जल के निकास के लिए नालियां आदि को प्राथमिकता का विषय मानकर इनके समुचित क्रियान्वयन पर बल दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी गरीब परिवारों (अनु0 जाति/जनजाति, बन्धुवा मजदूर व विकलांग) जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त हैं, के आवास की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी इन्दिरा आवास योजना के प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को पूरा करने के लिए चलायी जा रही है। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली योजना राशि का 80 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 1999 को योजना राशि को परिवर्तित करके 75:25 के अनुपात में निर्धारित किया गया।[9]

योजना का उद्देश्य

⇒ आवासीय क्षेत्र में चल रही इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रयासों को समर्थन देना है।

⇒ इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति, बन्धुवा मजदूरों को (योजना राशि का 60 प्रतिशत) तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/जनजाति को (योजना राशि का 40 प्रतिशत) तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को (योजना राशि का 3 प्रतिशत) निःशुल्क भवन मुहैया कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ पर्यावरण के विकास में सहायता मिल सके।[10]

खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाएं

भोजन किसी भी जीव के लिए जीवन रक्षक तत्व है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, चाहे वह मानव हो या जीव–जन्तु। मानव के लिए खाद्यान्न मूल आवश्यकता है और गरीबों के लिए तो यही एकमात्र जीवन रक्षक आधार है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं में गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों को सस्ती दर पर तथा अति गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अति सस्ते दर पर चावल और गेंहूँ उपलब्ध कराना तथा गरीबी रेखा के नीचे के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले असहाय लोगों को 10 किग्रा गेंहूँ मुफ्त में प्रदान करना प्रमुख है, जिसके माध्यम से इनकी खाद्य आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है–

सारणी 1 : ग्रामीाण परिवार, बीपीएल परिवार एवं अन्त्योदय, बी0पी0एल0 कार्ड धारक

जनपद	कुल ग्रामीण परिवार *	कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार *	बी0पी0एल0 परिवार का प्रतिशत *	कुल बीपीएल परिवार में कार्ड धारकों की संख्या** व प्रतिशत***					
				अन्त्योदय		बी0पी0एल0		योग	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
इलाहाबाद	992445	27954 2	28.2	88108	31.52	142301	50.91	230409	82.43
चित्रकूट	141559	78047	55.1	22774	29.18	37235	47.71	60009	76.89
मथुरा	260417	118199	45.4	47243	39.97	67243	56.89	104486	96.90

बाराबंकी	665429	314363	47.2	132883	42.27	183597	58.40	316480	100.67

स्रोतः– * बीपीएल सर्वे 2002 पर आधारित, ** कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, *** कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवार का।

नोटः– अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारकों की वर्तमान (2007–08) की संख्या।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण परिवारों में ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत 28.2 है जबकि चित्रकूट में 55.1 प्रतिशत मथुरा में 45.4 प्रतिशत तथा बाराबंकी में 47.2 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे है। इस प्रकार बाराबंकी जनपद में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की संख्या की तुलना में 100.67 प्रतिशत अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 राशन दिया गया। जिसमें 42.27 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये है तथा 58.4 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये है। जबकि मथुरा जनपद में कुल 96.9 प्रतिशत कार्ड धारकों में से 39.97 प्रतिशत (अति गरीब) को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये है तथा 56.89 प्रतिशत गरीब परिवार को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये है। इसी प्रकार इलाहाबाद जनपद में कुल 82.43 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों में 31.52 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये है जबकि 50.9 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये है। बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में कुल 76.89 प्रतिशत राशन कार्ड धारकों में से 29.18 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड तथा 47.7 प्रतिशत गरीब परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चित्रकूट जनपद में 23 प्रतिशत से अधिक, इलाहाबाद में 17.0 प्रतिशत से अधिक एवं मथुरा में लगभग 3.0 प्रतिशत बी0पी0एल0 परिवार अभी भी सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं प्राप्त हुआ है।

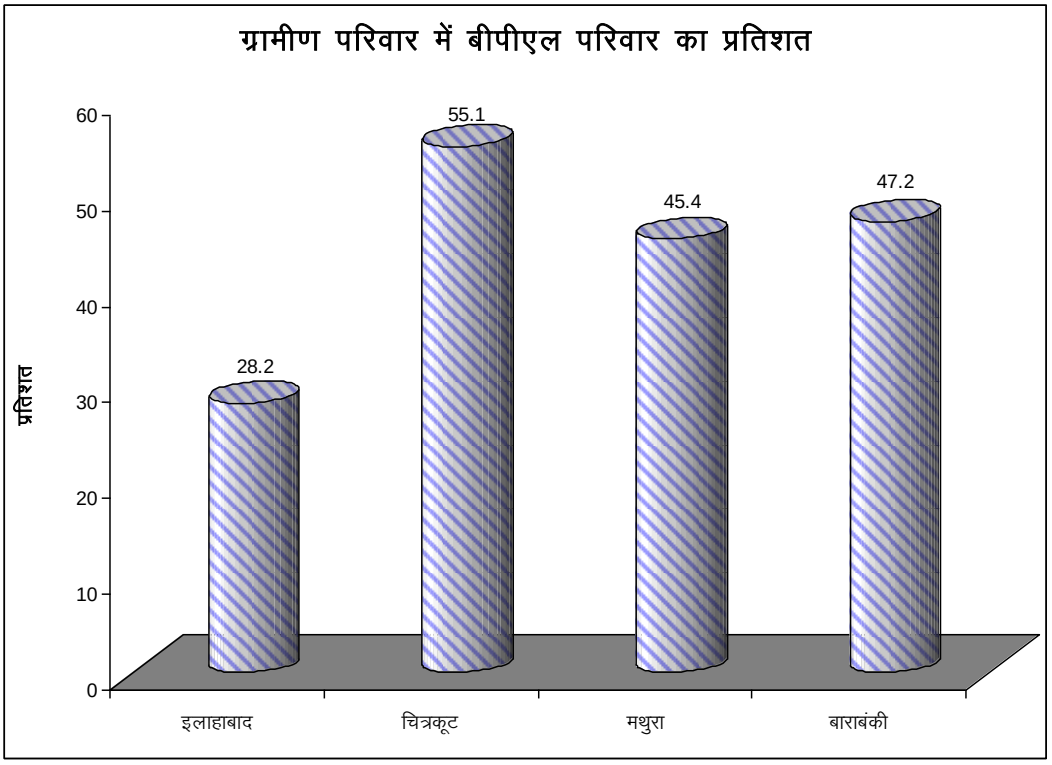
ग्रामीण परिवार में बीपीएल परिवार का प्रतिशत
प्रतिशत
60
50
40
30
20
10
0
28.2
55.1
45.4
47.2
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

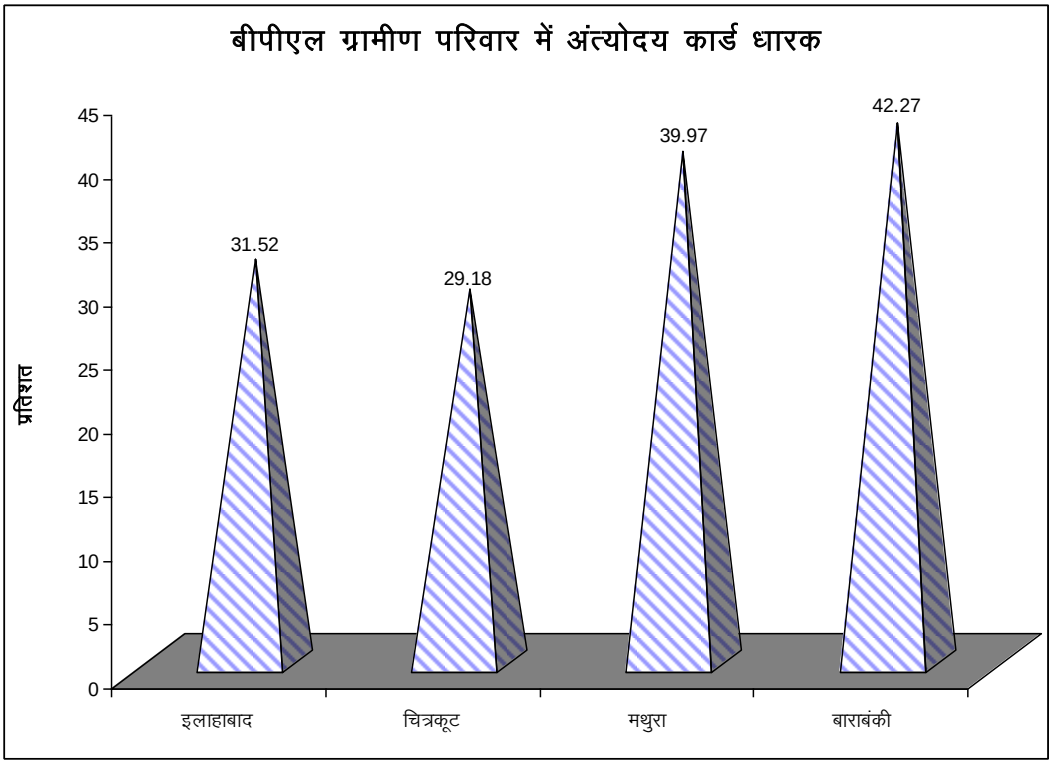
बीपीएल ग्रामीण परिवार में अंत्योदय कार्ड धारक
प्रतिशत
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
31.52
29.18
39.97
42.27
इलाहाबाद
चित्रकूट
मथुरा
बाराबंकी

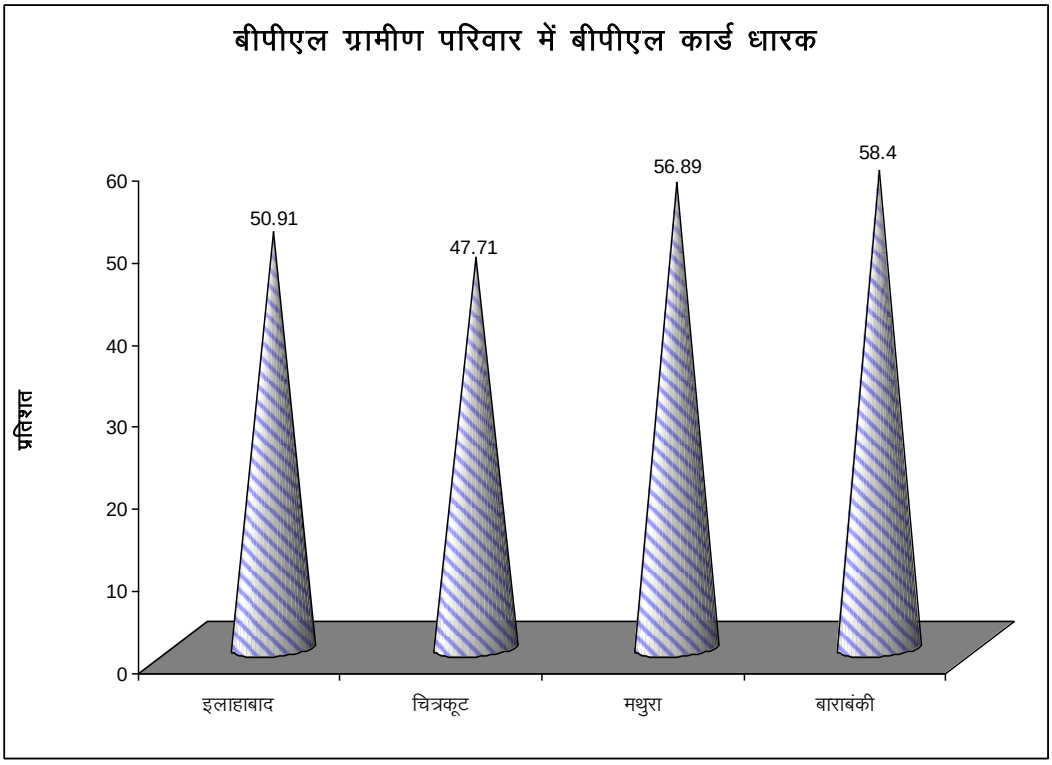

अंत्योदय अन्न योजना

भोजन मनुष्य की अहम् आवश्यकताओं में से एक है। भारत जैसे देश में जहॉ 23 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त है, उनके खाद्य सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने अपने 76वें जन्म दिवस, 25 दिसम्बर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना का शुभारम्भ किया। अंत्योदय अन्न योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार को 25 किग्रा अनाज अत्यन्त रियायती दर पर (गेंहूँ 2 रूपये प्रति किग्रा और चावल 3 रूपये प्रति किग्रा) उपलब्ध कराया जाता है। 1 अप्रैल 2002 से इस योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2003 तक अनाज की इस मात्रा को 25 किलोग्राम प्रति परिवार से बढ़ाकर 35 किलोग्राम (23 किलोग्राम गेंहूँ और 12 किलोग्राम चावल) प्रति परिवार कर दिया गया।

केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया है इसमें निम्न परिवारों के प्राथमिकता समूहों को शामिल किया गया है।[14]

(क) परिवार की विधवाएं, मरणासन्न व्यक्ति, विकलांग या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति अथवा ऐसी अकेली महिला या अकेला पुरूष, जिसका पारिवारिक या सामाजिक, कोई सहारा न हो।

(ख) विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना का लाभ अनुसूचित जाति/जनजाति के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है।

(ग) अंत्योदय अन्न योजना से लाभान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों की पहचान करके विशेष राशन कार्ड जारी किया जाता है।

वर्तमान समय में यह योजना केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत चलायी जा रही है।[15]

सारणी 2: वर्षवार अन्त्योदय कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद		चित्रकूट		मथुरा		बाराबंकी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2000-01	30147	10.78	7250	9.29	24857	21.03	38378	12.21
2001-02	34900	12.48	7650	9.80	24857	21.03	44800	14.25
2002-03	35226	12.60	9100	11.66	24857	21.03	45175	14.37
2003-04	52854	18.91	9106	11.67	24857	21.03	45175	14.37
2004-05	69778	24.96	13662	17.50	24857	21.03	73512	23.38
2005-06	88108	31.52	18034	23.11	32812	27.76	97039	30.87
2006-07	88108	31.52	22774	29.18	41436	35.06	122545	38.98
2007-08	88108	31.52	22774	29.18	47243	39.97	132883	42.27

स्रोतः– संख्या– कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, एवं **प्रतिशत–** बीपीएल सर्वे 2002 पर अधारित।

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल बी0पी0एल0 ग्रामीण परिवारों में से 12.6 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये, जबकि वर्ष 2004–05 में अति गरीब परिवारों को दिये जाने वाले अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों का प्रतिशत बढ़कर 24.96 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह बढ़कर 31.52 प्रतिशत हो गया। चित्रकूट जनपद में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 11.66 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये, वही वर्ष 2004–05 में यह प्रतिशत बढ़कर 17.50 हो गया तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर यह प्रतिशत 29.18 हो गया। वही दूसरी ओर मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 21.03 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004–05 में अति गरीब परिवारों को दिये जाने वाले अन्त्योदय कार्ड धारकों के प्रतिशत में कोई बढ़ोत्तरी नही हुयी, वही वर्ष 2007–08 में कार्ड धारकों का प्रतिशत बढ़कर 39.97 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों में से 14.37 प्रतिशत अति गरीब परिवारों को अन्त्योदय राशन कार्ड दिये गये जबकि वही वर्ष 2004–05 में अतिगरीब परिवारों को दिये जाने वाला अन्त्योदय कार्ड राशन का प्रतिशत बढ़कर 23.38 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में बढ़कर यह 38.98 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार आँकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि 2000–01 की तुलना में सभी जनपदों में अति गरीब परिवारों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जो स्पष्ट करता है कि अति गरीब परिवारों को विभिन्न विकास योजनाओं के द्वारा बेहतर स्थिति में नहीं लाया जा सका साथ ही अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों की वर्ष–वार बढ़ती संख्या गरीबी के स्वरूप को और भी विकराल तस्वीर प्रस्तुत करती है।

गरीबी रेखा के नीचे की योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 1997 से खाद्य सुरक्षा के रूप में 25 किलोग्राम अनाज (गेंहूँ एवं चावल) सस्ते दर की दुकान से बी0पी0एल0 कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वे समस्त परिवार, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, लाभान्वित किये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत गेंहूँ 4.65 रूपये प्रति किलोग्राम तथा चावल 5.35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना के प्रारम्भ होने पर उन गरीब परिवारों में जो परिवार अति गरीब थे, उन्हें लाल रंग का कार्ड देकर अंत्योदय योजना का तथा शेष परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे का सफेद राशन कार्ड देकर लाभान्वित किया जाने लगा। इन योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे गरीबों को काफी लाभ पहुँचा है किन्तु गरीबी रेखा के निर्धारण में खामियों की वजह से जहाँ आज भी हजारों गरीब परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं वहीं हजारों अपात्र परिवार इस योजना का लाभ ले रहा है।[17]

योजना का उद्देश्य

इस योजना का एकमात्र उद्देश्य यह है कि देश के ऐसे गरीब परिवार, जो गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं और बाजार के मॅहगे दर पर खाद्यान्न खरीदकर काम नहीं चला पाते हैं, उन्हें पूर्व में 25 किलोग्राम तथा वर्तमान में 35 किलोग्राम खाद्यान्न (23 किलोग्राम गेंहूँ और 12 किलोग्राम चावल) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित दर की दुकान से सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाए।

सारणी 4.5: वर्षवार बीपीएल कार्ड धारक

वर्ष	इलाहाबाद		चित्रकूट		मथुरा		बाराबंकी	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
2000-01	194572	69.60	47380	60.71	24857	21.03	250350	79.64
2001-02	176946	63.30	53227	68.20	24857	21.03	247700	78.79
2002-03	160030	57.25	50294	64.44	91371	77.30	249960	79.51
2003-04	141692	50.69	45738	58.60	91503	77.41	246027	78.26
2004-05	142301	50.91	41366	53.00	81213	68.71	222500	70.78
2005-06	142301	50.91	36626	46.93	75258	63.67	196994	62.66
2006-07	142301	50.91	37235	47.71	67243	56.89	197603	62.86
2007-08	142301	50.91	37235	47.71	67243	56.89	183597	58.40

स्रोतः– संख्या– कार्यालय, जिला आपूर्ति विभाग, एवं **प्रतिशत–** बीपीएल सर्वे 2002 पर अधारित।

उपरोक्त सारणी स्पष्ट करता है कि वर्ष 2002–03 में इलाहाबाद जनपद में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 57.25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये जबकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बी.पी.एल कार्ड का प्रतिशत 2004–05 में घटकर 50.91 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बी0पी0एल0 राशन कार्डो के प्रतिशत में कोई वृद्धि नही दर्ज की गयी। चित्रकूट जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों में से 64.44 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004–05 में रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले बी0पी0एल0 राशन कार्डो की संख्या में कोई वृद्धि नही हुई। मथुरा जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल बी0पी0एल0 राशन कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004–05 में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को दिये जाने वाले कार्डो का प्रतिशत घटकर 68.71 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2007–08 में यह संख्या पुनः घटकर 56. 89 प्रतिशत हो गयी। दूसरी ओर बाराबंकी जनपद में वर्ष 2002–03 में कुल ग्रामीण बी.पी.एल परिवारों में से 79.51 प्रतिशत बी.पी.एल परिवारों को बी.पी.एल कार्ड दिये गये जबकि वर्ष 2004–05 में बी.पी.एल परिवारों को दिये जाने वाले राशन कार्डो का प्रतिशत घटकर 70.78 प्रतिशत हो गया तथा यह संख्या पुनः वर्ष 2007–08 में घटकर 58.4 प्रतिशत हो गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि चयनित जनपदों में मथुरा जनपद छोड़कर अन्य तीनों जनपदों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या में क्रमिक रूप से कमी दिखाई देती है।

रोज़गार से सम्बन्धित योजनाएं

आवासीय सुविधा के बाद रोज़गार गरीबों की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आवश्यक रोज़गार मिलने से गरीब व्यक्ति अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित किये जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आय का एकमात्र साधन मजदूरी है। इन गरीब परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि का अभाव होने के कारण मजदूरी ही इनकी आय का स्रोत है और इसके अलावा उनके पास आय अर्जित करने का कोई अन्य साधन नहीं है। पूर्व में कृषि भूमि में मजदूरी के पर्याप्त अवसर विद्यमान थे, लेकिन विगत् कुछ वर्षों में कृषि के उन्नत तरीकों के अपनाए जाने से कृषि क्षेत्र में मजदूरी के अवसर काफी कम हो गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार समय–समय पर विभिन्न प्रकार की रोज़गार परक योजनाओं को क्रियान्वित करती रहती है, जिसके द्वारा रोज़गार के अवसर तो उपलब्ध होते ही हैं, साथ ही साथ आधारभूत संरचनाओं का भी निर्माण होता है, जिससे विकास की गति को भी बल मिलता है। रोज़गार से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का आरम्भ अक्टूबर 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनर्गठित करके किया गया। इस योजना को भी भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के रूप में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर कार्यान्वित किया गया। इस योजना में बेरोज़गारी एवं अल्प बेरोज़गारी को दूर करने के लिए 3000 से 4000 लाख मानव दिवस का अतिरिक्त रोज़गार प्रति वर्ष देने का संकल्प व्यक्त किया गया। इस योजना के अन्तर्गत योजना राशि का 10 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों पर खर्च करना अनिवार्य था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे पीने के लिए पानी के कुएं, सार्वजनिक सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, छोटी सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण सड़कें, स्कूल, बालवाड़ी भवन, पंचायत घर आदि का निर्माण करना था।[18]

योजना का उद्देश्य

इस योजना के प्राथमिक एवं गौंण दो प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए गये जो है–

⇒ **प्राथमिक उद्देश्य** राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की बेरोज़गारी एवं अल्प–बेरोज़गारी को दूर करने के लिए 3000 से 4000 लाख मानव दिवस के अतिरिक्त रोज़गार प्रति वर्ष उपलब्ध कराना है।

⇒ **द्वितीयक उद्देश्य** इस योजना का गौंण उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक सम्पत्तियों, जैसे पीने के लिए पानी के कुएं, सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, छोटी परियोजनाएं, सड़कें, स्कूल, बालवाड़ी भवन एवं पंचायत घर का निर्माण आदि कराना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती मजदूरी रोज़गार कार्यक्रमों यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (एन0आर0ई0पी0) 1980, ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम (आर0एल0ई0जी0पी0) 1983, जवाहर रोज़गार योजना (जे0आर0वाई0) 1989, सुनिश्चित रोज़गार योजना (ई0ए0एस0) 1993, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे0जी0एस0वाई0) 1999, सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (एस0जी0आर0वाई0) 2001, काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन0एफ0एफ0डब्लू0पी0) 2004, जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है, को मिलाकर 7 सितम्बर 2005 को संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी अधिनियम पारित किया गया। प्रारम्भ में यह योजना देश के 200 जनपदों में लागू की गयी, लेकिन 5 वर्ष की अवधि के भीतर इसे पूरे देश में लागू करने का प्रावधान रखा गया।[39]

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोज़गार की गारण्टी प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत परिवार का अर्थ है एकल परिवार, जिसमें मॉ, बाप तथा उनके बच्चे शामिल हों। परिवार के मुखिया के उपर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निर्भर किसी भी व्यक्ति को परिवार में शामिल किया जा सकता है तथा इसमें एक सदस्यीय परिवार भी शामिल हो सकता है। काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के कृषि मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इस तरह यह मजदूरी 60 रूपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी। मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है और हर हाल में 15 दिन के भीतर किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रत्येक राज्य को एन0आर0ई0जी0ए0 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य रोज़गार गारण्टी योजना बनानी पड़ती है। योजना में रोज़गार चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत सत्यापन के पश्चात ग्राम सभा द्वारा पंजीकृत किया जाता है और उस परिवार को जॉब कार्ड दिया जाता है। अधिनियम के लागू होने पर अधिनियम के बारे में जानकारी देने, आवेदन इकट्ठा करने, पंजीकरण और सत्यापन करने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित की जाती है। अधिनियम के तहत रोज़गार के लिए पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए घर–घर जाकर सर्वेक्षण भी किया जाता है। एन0आर0ई0जी0ए0 को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के साथ जॉब कार्ड के लिए एक सुझाव प्रपत्र संलग्न किया जाता है, जिसमें परिवार की स्थाई जानकारी और 5 वर्ष के लिए दिए गए कार्य की प्रविष्टियॉ होंगी। जॉब कार्ड की स्थायी जानकारी में परिवार का पंजीकरण कोड नम्बर, आवेदक तथा परिवार के सभी सदस्यों की लिंग व आयु से सम्बन्धित जानकारी तथा काम करने के इच्छुक वयस्क का नाम होगा। परिवार के प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को अलग पहचान पर्ची भी दी जाती है।

रोज़गार चाहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा काम के लिए आवेदन दिये जाने के 15 दिनों के भीतर रोज़गार दिया जाता है। यदि 15 दिन के भीतर रोज़गार नहीं दिया जाता है तो दैनिक बेरोज़गारी भत्ता नगद दिया जाता

है। रोज़गार देने की कानूनी जवाबदेही राज्यों की है और उसी अनुपात में निधियॉ देने की जवाबदेही केन्द्र की है। इस योजना में बेरोज़गारी भत्ता भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्यों की है।

इस योजना के अन्तर्गत नया काम तभी शुरू किया जाता है, जब काम के लिए कम से कम 50 श्रमिक मिल जाते हैं। योजना के अन्तर्गत एक तिहाई महिला श्रमिकों को काम दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। ग्राम पंचायत नियोजन व पंजीकरण करने, लाभार्थियों को जॉब कार्ड जारी करने, रोज़गार आवंटित करने और कार्यों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं। विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के रैंक से उपर के अधिकारी योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह ग्राम योजनाओं की जॉच करने, कार्यों और रोज़गार की मांग के बीच तालमेल सुनिश्चित करने, समय सीमॉ के भीतर रोज़गार की मांग को पूरा करने और कामगारों को उनका हक दिलाने के लिए जिम्मेदार होता है।[40]

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 फरवरी 2006 को इस योजना को लागू करने के लिए सहमति दिये जाने के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसी दिन यह योजना लागू की गयी। प्रदेश के चयनित 39 जिलों में यह योजना लागू की गयी, जिसमें वर्ष 2006–07 में 22 जिले तथा 2007–08 में 17 जिलों को और शामिल किया गया। 1 अप्रैल 2008 से प्रदेश के शेष 31 जिलों में भी यह योजना प्रारम्भ की गयी। इस प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी कार्यक्रम देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत व्यय किये जाने वाले धन का 90 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।[41]

योजना का उद्देश्य

⇒ इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक परिवारों को रोज़गार सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोज़गार की गारण्टी प्रदान करना।

⇒ मांग के 15 दिनों के अन्दर श्रमिकों को कम से कम 14 दिन का रोज़गार एक बार में उपलब्ध कराना।

⇒ रोज़गार, श्रमिक के निवास स्थान के 5 किमी0 के अन्दर उपलब्ध कराना। इससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी भुगतान करना।

⇒ यदि 15 दिनों के अन्दर रोज़गार न दिया गया तो बेरोज़गारी भत्ते का भुगतान किया जाना, जो वित्तीय वर्ष के प्रथम 30 दिन के लिए 1/4 और शेष दिनों के लिए 1/2 होता है।

कृषि से सम्बन्धित योजनाएं

देश की जनसंख्या का 74 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गॉवों में निवास करती है, जिनके जीवन का आशय मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। देश की गरीबी निवारण में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र ही गरीबों की संख्या घटाने तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलायी जाती रही हैं, जिससे गरीब परिवारों की गरीबी भी कम होती रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

भारतीय किसानों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों से मिलने वाले ऋण को सरल बनाने, ऋण की सीमा को उनके जोत के आधार पर कम या अधिक करने के लिए वर्ष 1998–99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरम्भ किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वे किसान पात्र होते हैं, जिनका कृषि उत्पादन 5,000 रूपये या उससे अधिक है। किसानों को क्रेडिट कार्ड उनके भूमि के आधार पर जारी किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत पात्र किसानों का कार्ड और पासबुक अथवा कार्ड–सह–पासबुक दिये जाते हैं। किसानों द्वारा बैंकों से मिलने वाली इस धनराशि का प्रयोग कृषि के लिए बीज, खाद और कीट नाशक आदि खरीदने पर किया जाता है। किसानों को दिये जाने वाले धन की सीमा उनके प्रचलित जोत, फसल पैटर्न (खेती एक फसली होती है या दो फसली) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसानों को दिये जाने वाले क्रेडिट कार्ड पर लिये जाने वाले ब्याज का निर्धारण रिजर्व बैंक करता है।[47]

योजना का उद्देश्य

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों या ग्रामीण बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण को और सरल बनाना है, जिससे किसानों को सरलता से ऋण प्राप्त हो सके।

स्वास्थ्य सम्बन्धित योजनाएं

गरीबी निवारण में स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि लोग स्वस्थ हैं, तो वह अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई उद्यम अवश्य करते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और उनके स्वास्थ्य पर व्यय भी कम हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अस्वस्थ है, तो उसकी आय घट जाती है या घटकर शून्य हो जाती है, साथ ही उन्हें अपनी अस्वस्थता दूर करने में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण वे अत्यधिक कर्ज में डूब जाते हैं, जो गरीबी जैसी विषम समस्या के रूप में सामने आती है। इसी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता रहा है जिसका सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख योजनाएं निम्नवत है–

जननी सुरक्षा योजना

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए 1 अप्रैल, 2005 से जननी सुरक्षा योजना का आरम्भ किया गया। इस योजना को मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने एवं गर्भवती महिलाओं के हितों के लिए लागू किया गया। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है। तीसरे प्रसव के समय भी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। साथ ही यदि महिलाएं अपनी नसबन्दी कराती हैं, तो योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं के साथ–साथ प्रसव कराने वाली स्वास्थ्य सेविका को भी 200 रूपये से 800 रूपये तक की राशि (धनराशि का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर

किया जाता है।) प्रदान की जाती है। प्रसव कराने वाली महिलाओं को मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव कराने पर भी इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना पर आने वाले खर्च को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना में पूर्व में चलायी गयी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को शामिल कर दिया गया तथा वर्ष 2005–06 के बजट में यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक हो गयी। वर्तमान में यह योजना देश के 10 राज्यों, जैसे– बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, असम तथा जम्मू कश्मीर में चलायी जा रही है।[51]

योजना का उद्देश्य

⇒ जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले गरीब परिवारों के मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाना है।

⇒ योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को जिनकी उम्र 19 वर्ष से अधिक है, पहले दो जीवित प्रसवों के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

शिक्षा सम्बन्धित योजनाएं

गरीबी निवारण की दिशा में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक शिक्षित परिवार अपने आय को ध्यान में रखकर परिवार के आकार को छोटा रखता है, जिससे जनसंख्या भी नियंत्रित रहती है और परिवार पर विभिन्न प्रकार के (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं) खर्चों पर अंकुश लगा रहता है। शिक्षा का प्रभाव रहन–सहन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, देश–विदेश की जानकारी एवं रोज़गार आदि पर पड़ता है। यही वजह है कि शिक्षा की महत्ता को समझते हुए सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित होती रही हैं, जिनमें प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

सर्व शिक्षा अभियान

भारत सरकार ने सभी को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अक्टूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना का आरम्भ किया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला व वर्ष 2007 तक इन सभी बच्चों के पॉच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा (पूर्व माध्यमिक स्तर) की ओर ध्यान केन्द्रित करना, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे स्कूली शिक्षा जारी रखे हुए हैं, आदि लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि का 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता था, लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा

वहन की गयी। वहीं इसके बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान देश के गोवा राज्य को छोड़कर, समूचे देश में चलाया जा रहा है। वर्ष 2004–05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 598 जनपदों के लिए वार्षिक कार्यक्रम अनुमोदित किये गए। सर्व शिक्षा अभियान में ऐसी मलिन बस्तियों में नये स्कूल स्थापित करना, जहॉ पर बच्चों के लिए कोई स्कूली सुविधा मौजूद नहीं है तथा बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, अनुरक्षण, अनुदान तथा स्कूल सुधार अनुदान के प्रावधानों के माध्यम से स्कूलों के मौजूदा बुनियादी ढॉचे को मजबूत बनाना है।[59] सरकार सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से अपर्याप्त शिक्षक वाले मौजूदा स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना, मौजूदा अध्यापकों की क्षमता, प्रशिक्षण, शिक्षण–अधिगमन सामग्री और शैक्षिक अनुसमर्थन तंत्र का विकास करके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों की लड़कियों और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर इनके लिए निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों सहित अनेक प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं चलायी गयी। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों के बच्चों को, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया गया है।

योजना का उद्देश्य

⇒ वर्ष 2003 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल में पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाए।

⇒ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पॉच वर्ष की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनां।

⇒ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चो को वर्ष 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करना।

⇒ जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सन्तोषजनक स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना है।

⇒ प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 2010 तक लड़के और लड़कियों के बीच अन्तर और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता एवं बीमा से सम्बन्धित योजनाएं

समाज में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो बेसहारा और निःसहाय हैं और गरीबी के कारण कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर गरीबी निवारण का प्रयास करती रही है, जिनमें कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 15 अगस्त, 1995 से एक राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे ग्रामीण

वृद्ध, जिनकी मासिक आय 2250 रूपये से कम हो, उन्हें 125 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता था। वर्ष 2006–07 के बजट में 75 रूपये के स्थान पर 200 रूपये केन्द्र सरकार द्वारा तथा 200 रूपये राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार इस योजना के लाभार्थी को 400 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाने लगा। इस योजना का लाभ पाने के इच्छुक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के लेखपाल के माध्यम से फार्म भरकर उप–जिलाधिकारी को प्रेषित करना पड़ता है तथा शासन से सम्बन्धित विभाग की स्वीकृति मिल जाने पर उन्हें पेंशन दिया जाने लगता है। इसका भुगतान मासिक न होकर त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक समय के अन्तराल पर किया जाता है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 6 सीमावर्ती जनपदों में, जो आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं से प्रभावित हैं, चलायी जा रही है।[65]

सन्दर्भ–

1– आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या–1, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवस योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 1–2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

3– आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 0–5, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

4– आश्रय पत्रिका (इन्दिरा आवास योजना), 2002, पृष्ठ संख्या–5–6, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

5– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या– 27–28, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

6– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या– 28, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

7– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या– 43, पैराग्राफ–1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

8– मार्ग निर्देषिका (परफार्मेस बजट), 2008–09, पृष्ठ–56, पैराग्राफ 3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

9– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या– 21–22, पैराग्राफ 1, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

10– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 2000, पृष्ठ संख्या– 21, पैराग्राफ 4, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

11– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 1998, पृष्ठ संख्या– 42, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– निर्देशिका (ग्रामीण आवासीय योजनाएं), 1998, पृष्ठ संख्या– 50, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

13– निर्देशिका (कार्य पूर्ति दिग्दर्शक), 2008–09, पृष्ठ संख्या– 18, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश भारत सरकार।

14– प्रगति रिपोर्ट, 2008–09, पृष्ठ संख्या–28, पैराग्राफ 2 खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

15– प्रगति रिपोर्ट, 2008–09, पृष्ठ संख्या–29, पैराग्राफ 5 खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

16– वार्षिक रिपोर्ट, 2008–09, पृष्ठ संख्या 60, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

17– प्रगति रिपोर्ट, 2008–09, पृष्ठ संख्या–22–23, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

18– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 266–267, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।

19– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 268, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।

20– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 268, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।

21– ग्राम्य विकास कार्यक्रम की मार्ग निर्देशिका, 1998–99, पृष्ठ संख्या 96, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

22– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 266, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।

23– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 64, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

24– मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998–99, पृष्ठ संख्या 1–2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

25– मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998–99, पृष्ठ संख्या 3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

26– मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998–99, पृष्ठ संख्या 1–2, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

27– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 275, एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0पी0एम0 सुन्दरम।

28– मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998–99, पृष्ठ संख्या 28–29, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

29– मार्ग निर्देशिका (दस लाख कूपन योजना), 1998, पृष्ठ संख्या 1 पैराग्राफ 1 ग्रामीण रोज़गार मंत्रलाय, भारत सरकार।

30– मार्ग निर्देशिका (दस लाख कूपन योजना), 1998, पृष्ठ संख्या 1 पैराग्राफ 2 ग्रामीण रोज़गार मंत्रलाय, भारत सरकार।

31– मार्ग निर्देशिका (ग्राम्य विकास कार्यक्रम), 1998–99, पृष्ठ संख्या 44–45, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

32– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2003, पृष्ठ संख्या 276, पैराग्राफ 3 एस0 चन्द्र एण्ड एवं कम्पनी लिंग रूद्र दत्त एवं के0 पी0 एम0 सुन्दरम।

33– सामार्थ्य पत्रिका (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना), 2004, पृष्ठ संख्या 24–25, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।

34– सामार्थ्य पत्रिका (स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोज़गार योजना), 2004, पृष्ठ संख्या 25, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।

35– रिपोर्ट (सम्पूर्ण ग्रामीण योजना), 2005 पृष्ठ संख्या 1, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, भास्कर मजूमदार

36– मार्गदर्शिका (सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना), 2002, पृष्ठ संख्या 2–3, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

37– मार्गदर्शिका (ग्रामीण रोज़गार मंत्रलाय), 1995, पृष्ठ संख्या 42, ग्रामीण रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार।

38– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 9–10,, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

39– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

40– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 15–16, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

41– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 17–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

42– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ संख्या 64, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

43– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–316, सूचना और प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

44– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–312, सूचना और प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

45– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–315, सूचना और प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

46– मार्ग दर्शिका (जैविक खाद ग्रंथ) 2005–06 पृष्ठ–1–3, कृषि निदेशालय (कृषि भवन), उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ।

47– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2009, पृष्ठ–304, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, एस0 के0 मिश्र एवं वी0 के0 पुरी।

48– भारतीय अर्थव्यवस्था, 2009, पृष्ठ–331–334, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, एस0 के0 मिश्र एवं वी0 के0 पुरी।

49– मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 1999, पृष्ठ–15–16 परिवार कल्याण महनिदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार।

50– मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 1999, पृष्ठ संख्या– 5 परिवार कल्याण महनिदेषालय, उत्तर प्रदेश सरकार।

51– मार्गदर्शिका (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम), 2007, पृष्ठ–16, परिवार कल्याण महनिदेषालय, उत्तर प्रदेश सरकार।

52– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–387, सूचना, प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

53– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–386, सूचना, प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

54– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–388, सूचना, प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

55– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–390, सूचना, प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

56– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–389, सूचना, प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

57– मूल्यांकन निर्देशिका, 2000, पृष्ठ–7, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, भारत सरकार।

58– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–216, सूचना प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार।

59– वार्षिक रिपोर्ट, 2005–06, पृष्ठ–6–9, यू0पी0, एजूकेशन फॉर आल प्रोजेक्ट बोर्ड विद्या भवन, उत्तर प्रदेश सरकार।

60– मार्गनिर्देशिका, 2007, पृष्ठ–12, निदेषालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

61– मार्गनिर्देशिका, 2006, पृष्ठ–22, निदेषालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

62– मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–5, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।

63– मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–6, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान योजना आयोग, भारत सरकार।

63– मार्गनिर्देशिका, 2000, पृष्ठ–20, निदेषालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

64– मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–25, सामाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेष सरकार लखनऊ।

65– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–311, सूचना प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार नयी दिल्ली।

66– भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–312, सूचना प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार नयी दिल्ली।